

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-I(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव - जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बडावे-धारी-बेल्लाड़ी मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.625 किमी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
 ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि - संलग्न है।
 और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
 ग) परियोजना की लागत। - लाख
 घ) वन क्षेत्र में परियोजना सीमित करने का औचित्य। - अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
 ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) - लागू नहीं।
 च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। - मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। -

सिविल सोयम भूमि	- 3.867 है०	} 4.7625 है०
वन पंचायत भूमि	- 0.00 है०	
नाप भूमि	- 0.8955 है०	
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। - लागू नहीं है।
 क) परिवारों की संख्या - शून्य

- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - शून्य
- ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) - शून्य
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) - नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) - संलग्न है
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। - संलग्न है

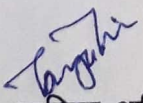
दिनांक / /2017

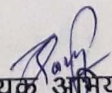
प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

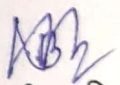
स्थान पितौरागढ़

नाम-

पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पितौरागढ़


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पितौरागढ़


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पितौरागढ़


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पितौरागढ़

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र-2.1

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

1. परियोजना/स्कीम का सीन :-

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित बड़ावे-धारी-बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.625 किमी०) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------------|
| i) | राज्य/संघशासित क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | - | पिथौरागढ़ |
| iii) | वन प्रभाग | - | पिथौरागढ़ वन प्रभाग |
| iv) | वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | - | 3.867 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | - | सिविल सोयम भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | - | 0.2 प्रतिशत |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | - | संलग्न है |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | संलग्न है <i>भू-क्षरण की संभावना</i> |
| ix) | वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | 2500 मी० (लगभग) |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | - | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | - | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - | नहीं |

8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या उपलब्ध नहीं है।

9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही

- वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

- वन अधिनियम के उल्लंघन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई

सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे कार्य नहीं किया गया है।

5

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा:-

- | | | |
|------|---|--|
| i. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | - प्रतिपूरक वनीकरण सिविल एवं सोयम मौजा धौलकाण्डा में किया जाना है। |
| ii. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | - मैप संलग्न है |
| iii. | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि। | - संलग्न है |
| iv. | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परियोजना। | - 2.78 लाख प्रति है० |
| v. | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। | - संलग्न है |

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- संलग्न है

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- | | | |
|------|--|----------------|
| i. | जिले का भौगोलिक क्षेत्र। | - 716900 है |
| ii. | जिले का वन क्षेत्र। | - 215750.56 है |
| iii. | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। | - 913.824 है |
| iv. | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल - प्रतिकूल वनीकरण | - |
| (क) | दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित - वन भूमि | - |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर 05/04/2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति | - |
| (क) | वन भूमि पर | - है० |
| (ख) | वनेत्तर भूमि पर | - है० |

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 28-01-18

स्थान पं. प्र. 6

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

- 14- जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है —
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-II में दी गयी —
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में —
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....
स्थान.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की स्पष्ट समीक्षा की जाये
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र-24

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश -

(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या

भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी

द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर

विषिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

स्थान :

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर